

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB AMBALA Year (वर्ष): 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0004

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

09/02/2023 14:15 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Intervening Days

Date from (दिनांक से):

08/02/2023

Date To (दिनांक तक):

09/02/2023

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 00:00

hrs

Time To (समय तक): 00:00

hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 09/02/2023 Time (समय): 14:15 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.):

006

Date and Time

(दिनांक और समय):

09/02/2023 14:15

hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH-WEST, Beat No. (बीट सं.): 85 Km(s)

(b) Address (पता): पंचायत भवन कैथल, कैथल

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): दिलबाग

(b) Father's Name (पिताका नाम): राम कुमार

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1978

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	बाबा लदाना, कैथल KAITHAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	बाबा लदाना, कैथल KAITHAL, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8168382688

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	सुनील कुमार			1. ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत बाबा लदाना, कैथल KAITHAL, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे

इन्स्पेक्टर विजिलेंस

कैथल

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं दिलबाग s/o श्री रामकुमार गांव बाबा लदाना का रहने वाला हूं और खेती बाड़ी का काम करता हूं और गौरक्षक दल का सदस्य हूँ मैंने अपने गांव में खाली पड़े तालाब को अपने साथियों के साथ ठेके पे दे सजिव कुमार गांव गौरा को दे दिया था । जिसमें हमने साफ पानी भर दिया था । जिस सम्बंध में पंचायत सैक्टरी सुनिल कुमार ने ठेकेदार सजिव s/o ठाठ सिंह गांव गौरा जिला कैथल की व मेरी शिकायत पुलिस चौकी संगतपुरा मे दी थी । जिस पर

पंचायत नें ठेकेदार पर 20 हजार ₹0 जुर्माना लगा दिया था। जुर्माना 20 हजार रुपये ठेकेदार संजिव ने उसी समय भर दिया था जिसकी रशिद गांव पंचायत बाबा लदाना के पास है। अब सुनील कुमार सैक्टरी यह कह रह है। की आप ने बिना किसी अनुमति के गांव के तालाब को ठेके पर दे दिया था इसलिए मैं अब आपकी व अन्य गौरक्षा दल की शिकायत डी.डी.पी.ओ. के पास करूंगा। यदि आप मुझे 20 हजार रुपए रिशवत के दे दे तो मैं आप के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं करूंगा सुनिल कुमार मुझे बार-बार फोन करके रिशवत देने के लिये कह रहा है। कल दिनांक 8-2-2023 को मैं व सतीस s/o इन्द्र सिंह वासी बाबा लदाना सुनिल कुमार के बुलाने पर उसके कार्यालय पंचायत भवन कैथल में गए थे। जहां पर काफी देर बातचीत करने पर हमारा 15 हजार रुपए मे सौदा तय हुआ जिसकी रिकार्डिंग मेरे पास है। मैं यो रिशवत की राशि सुनील कुमार पंचायत सैक्टरी को नहीं देना चाहता यदि मैं यह रिशवत की राशि नहीं दूंगा तो वह हमारे खिलाफ दुबरा शिकायत कर देगा। सुनिल कुमार द्वारा मार्गी गई रिशवत राशि 15000 आप को पेश कर दी है। दिनांक 8-2-2023 को की गई रिकार्डिंग मैं आप को बाद में पेश कर दूंगा सुनिल कुमार के खिलाफ कानूनी कारवाई की जाए।

प्रार्थी

हस्ताक्षर अंग्रेजी

Dilbag

दिलबाग s/o राम कुमार

वासी बाबा लदाना जिला कैथल

Mob. 8168382688

कार्यवाही पुलिस:-आज मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल हूं कि दिलबाग पुत्र श्री रामकुमार वासी गांव बाबा लदाना, थाना सदर कैथल जिला कैथल ने हाजिर कार्यालय आकर एक स्वयं लिखित शिकायत मन निरीक्षक को पेश की जिस पर मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पूछताछ की और सन्तुष्ट होने पर शिकायतकर्ता द्वारा पेश किये गये मुबलिक 15000/-₹0 के करन्सी नोट जिनमें 7 अदद करन्सी नोट 2000/2000 रुपए के व 2 अदद करन्सी नोट 500-500 रुपए के कब्जा पुलिस में लेकर अलग से फर्द सूची नोट तैयार की गई। फर्द सूची नोट पर मन निरीक्षक व शिकायतकर्ता दिलबाग ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दरखास्त के सम्बंध में पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला से विचार विमर्श करने उपरांत मेरे द्वारा राजपत्रित गवाह व छाया गवाह नियुक्त करने बारे कहा गया। जिस पर प्रबंधक अफसर द्वारा श्री कमल कुमार भटला, कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज कैथल को राजपत्रित गवाह नियुक्त कर आदेश जारी किये। जिस पर मेरे द्वारा श्री कमल कुमार भटला, कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज कैथल से सम्पर्क किया गया और हालात बारे अवगत करवाकर प्रबंधक अफसर के आदेश बारे बतलाया और अपने कार्यालय से एक छाया गवाह लेकर उसके कार्यालय में ईन्तजार करने के लिये कहा गया। दरखास्त के मजबून सुनील कुमार, ग्राम सचिव, बाबा लदाना कैथल के खिलाफ सूरत जुर्म जेर धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 का सरजद होना पाया जाने पर तहरीर बराये कायमी अभियोग बदस्त स.उ.नि. विकास न. 4/421 के थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला भेजी जा रही है। बाद कायमी अभियोग न. अभियोग से सूचित किया जावे व अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाए। मन निरीक्षक मय स.उ.नि. सुनील कुमार न. 2/87, स.उ.नि. बलौर सिंह न. 696/जीन्द बा सवारी गाड़ी सरकारी न. HR03GV 9656 जिसका चालक मु.सि. अजय कुमार न. 3/30 है व शिकायतकर्ता दिलबाग सिंह को साथ लेकर नियुक्त राजपत्रित गवाह व छाया गवाह को साथ लेने रवाना कार्यालय श्री कमल कुमार भटला, कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज कैथल कैथल व मौका रेड का होता हू। तफतीशी बैग, लैपटाप व प्रिन्टर हमराह लिया गया।

अज- कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल

हस्ताक्षर अंग्रेजी Suresh Kumar

निरीक्षक

राज्य चौकसी ब्यूरो,

उपकेन्द्र कैथल।

दिनांक 09.02.2023

समय 12:10 PM

अज थाना:- लिखित लेख निरीक्षक सुरेश कुमार, राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र कैथल उपरोक्त बाजुर्म उपरोक्त बादस्त स.उ.नि. विकास कुमार न. 4/421 थाना में प्राप्त होने पर अभियोगांक 04 दिनांक 09.02.2023 बाजुर्म 7 भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम-1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला अंकित करके अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट आरिन्दा स.उ.नि. विकास कुमार न. 4/421 के निजद ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कैथल व नकल मिसल पुलिस मय असल लेख निजद अनुसंधानकर्ता निरीक्षक सुरेश कुमार, राज्य चौकसी ब्यूरो, कैथल भेजी जा रही है। अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्चाधिकारीगण व सम्बंधित की सेवा मे डाक के माध्यम से भिजवाई जायेगी। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):
/ or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Suresh Rank (पद): I (Inspector)
Kumar

No. (सं.): 50 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): ajay

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of
Police)

No. (सं.): hps

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					
						Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)